

रामस्वरूप बनाह नारायण

मु. नं. ०४/२५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रॉपत्र ०९२९ अंतर्गत धारा ४४, ४९, ५३, १४४ RTA

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख

हुक्म

14-11-25

आज भद्र पत्रावली पेश हुई। वकुलम पत्रकारान उर्फ।
उन्हें प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
प्रॉपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा अज्ञार्थी
सेख्या एक के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रॉपत्र
में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया
है कि विवादित आराजी गैरमुमकिन चाह पुरखी है।
अतः प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाना उचित
नहीं है। प्रॉपत्र आदेश १ नियम १ जा.दी. खारिज किये
जाने का मत. निवेदन किया गया है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता गण की बहस
पर मनन किया गया। मूल प्रॉपत्र ०९२९ जा.दी.का
अध्ययन किया गया।

उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अतः प्रॉपत्र प्रार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फ़ैसल कुमार हेक्टर नंबर सेकम
है, यदि तकनीकी जांचा दाखिल हफ़्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राजग.